मैनुअल-22

सीएजी और पीएसी पैरा

निरंक

मैनुअल-23

नागरिक चार्टर/सेवा प्रदाय एक्ट

लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत ऊर्जा विभाग की 26 सेवाएं अधिसूचित है, जिनकी बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-01.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में ऊर्जा विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

<u>मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत</u>

<u>ऊर्जा विभाग की सेवाएं</u>

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	निम्नदाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए माँग-पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है	(अ) **<u>शहरी क्षेत्र</u>** जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	11 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) **<u>ग्रामीण क्षेत्र</u>** वितरण केन्द्र प्रभारी	16 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2	माँग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब स्थाई नवीन कनेक्शन प्रदान करना	(अ) **शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	10 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) **ग्रामीण क्षेत्र** वितरण केन्द्र प्रभारी	14 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.3(अ)	जहाँ वर्तमान निम्नदाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ 10 कि.वा. तक के लिए अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने हेतु माँग-पत्र जारी करना	(अ) **शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	4 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) **ग्रामीण क्षेत्र** वितरण केन्द्र प्रभारी	4 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.3(ब)	जहाँ वर्तमान निम्नदाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना	(अ) **शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	3 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) **ग्रामीण क्षेत्र** वितरण केन्द्र प्रभारी	3 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.4	जहाँ वर्तमान निम्नदाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत भारवृद्धि के प्रकरणों में माँग-पत्र जारी करना	(अ) **शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) **ग्रामीण क्षेत्र** वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.5	जहाँ वर्तमान निम्नदाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ माँग-पत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किये जाने के उपरांत निम्नदाब के प्रकरणों में भारवृद्धि करना	(अ) **शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) **ग्रामीण क्षेत्र** वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.6	निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जाँच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/बदलना	(अ) **शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	22 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) **ग्रामीण क्षेत्र** वितरण केन्द्र प्रभारी	37 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.7	निम्नदाब संयोजन के स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण	(अ) **शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	30 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) **ग्रामीण क्षेत्र** वितरण केन्द्र प्रभारी	30 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैंस,
प्रमुख सचिव

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]   भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जून 2015—आषाढ़ 6, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् ऊर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.8	निम्नदाब के वर्तमान में अवस्थित कनेक्शनों की श्रेणी (केटेगरी) में परिवर्तन.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी.	15 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता
		ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी.	15 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता
1.9	उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृत पत्र (सेंक्शन लेटर) प्रदान करना.	अ. 33 के. व्ही. तक-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री.	7 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	15 कार्य दिवस.	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय
		ब. 132 एवं 220 के. व्ही. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय.	15 कार्य दिवस.	प्रबंध निदेशक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.10	उच्च दाब के वर्तमान में अवस्थित कनेक्शन के भार में परिवर्तन करने की स्वीकृत पत्र (सेंक्शन लेटर) प्रदान करना.	अ. 33 के. व्ही. तक-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री.	7 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	15 कार्य दिवस.	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय.
		ब. 132 एवं 220 के. व्ही.- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.	30 कार्य दिवस	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय.	15 कार्य दिवस.	प्रबन्ध निदेशक
1.11	(अ) निम्नदाब के वर्तमान में अवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी.	7 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता
		ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता
	(ब) उच्च दाब के वर्तमान में अवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति.	अ. 33 के. व्ही. तक-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री.	15 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	15 कार्य दिवस.	प्रबन्ध निदेशक
		ब. 132 एवं 220 के. व्ही. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.	15 कार्य दिवस.	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय.	15 कार्य दिवस.	प्रबन्ध निदेशक
1.12	सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत् उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करना.	(अ) निम्न दाब एवं उच्चदाब के प्रकरणों में महाप्रबंधक/ अधीक्षण यंत्री कार्यालय प्रबंध संचालक वितरण कंपनी.	15 कार्य दिवस.	मुख्य अभियंता (वाणिज्य) कार्यालय प्रबंध संचालक वितरण कंपनी.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक वितरण कंपनी.
		(ब) अति उच्चदाब के प्रकरणों में महाप्रबंधक/अधीक्षण यंत्री कार्यालय प्रबंध संचालक पारेषण कंपनी.	15 कार्य दिवस.	मुख्य अभियंता कार्या. प्रबंध संचालक पारेषण कंपनी.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक पारेषण कम्पनी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 सितम्बर 2015—आश्विन 7, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऊर्जा विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार संशोधित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् ऊर्जा विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.8	निम्नदाब के वर्तमान में अवस्थित कनेक्शनों की श्रेणी (केटेगरी) में परिवर्तन.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी.	15 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता
		ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी.	21 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता
	(अ) निम्नदाब के वर्तमान में अवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी.	7 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता
		ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.11	(ब) उच्च दाब के वर्तमान में अवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति.	अ. 33 के. व्ही. तक-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री.	15 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्रमुख (वाणिज्य)	15 कार्य दिवस.	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट.
		ब. 132 एवं 220 के. व्ही. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.	15 कार्य दिवस.	कार्पोरेट कार्यालय.	15 कार्य दिवस.	कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक.
1.12	सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत् उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करना.	(अ) निम्न दाब एवं उच्चदाब के प्रकरणों में महाप्रबंधक/अधीक्षण यंत्री कार्यालय प्रबंध संचालक वितरण कंपनी.	15 कार्य दिवस.	मुख्य अभियंता (वाणिज्य) कार्यालय प्रबंध संचालक वितरण कंपनी.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक वितरण कंपनी.
		(ब) अति उच्चदाब के प्रकरणों में महाप्रबंधक/अधीक्षण यंत्री कार्यालय प्रबंध संचालक कंपनी.	60 कार्य दिवस.	मुख्य अभियंता कार्या. प्रबंध संचालक परिषण कंपनी.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक परिषण कम्पनी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412] भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2015—आश्विन 15, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऊर्जा विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार संशोधित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् ऊर्जा विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13	कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण के प्राक्कलनों की प्रशासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति.	अ. कालोनी का प्रस्तावित भार 10000 के. व्ही.ए. या अधिक होने पर वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री. ब. कालोनी का भार 10000 के.व्ही.ए. से कम होने पर-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री.	45 कार्य दिवस. 30 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	15 कार्य दिवस.	मुख्य अभियंता (कार्य) कार्पोरेट कार्यालय.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.14	बहूउपभोक्ता संकुल (मल्टी यूजर कॉम्पलेक्स) के बाह्य विद्युतीकरण के प्राक्कलनों की स्वीकृति.	अ. कालोनी का प्रस्तावित भार 10000 के.व्ही.ए. या अधिक होने पर-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री.	45 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	15 कार्य दिवस.	मुख्य अभियंता (कार्य) कार्पोरेट कार्यालय.
		ब. कालोनी का भार 10000 के.व्ही.ए. से कम होने पर-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री.	30 कार्य दिवस.			
1.15	विद्युत अधोसंरचना संबंधित प्राक्कलनों की स्वीकृति.	कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा/शहर)	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण यंत्री	15 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 सितम्बर 2017—भाद्र 14, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएँ, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.16	अ. मीटर/ सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग हेतु मांग पत्र जारी करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र- वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ब. मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के उपरांत मीटर/ सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र- वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
1.17	विवादित बिजली बिल की शिकायत का निराकरण (बिजली चोरी के प्रकरणों को छोड़कर).	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र- वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
1.18	बकाया राशि का भुगतान उपरांत विच्छेदित कनेक्शन को पुनः संयोजित करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी.	2 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र- वितरण केन्द्र प्रभारी.	4 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-34.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2017 में संशोधन करते हुए नापतौल विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.13	नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	45 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत ऊर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.19	33 के. व्ही. से अधिक वोल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत् स्थापनाओं के रेखा चित्र का अनुमोदन (भुगतान के पश्चात्).	मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक.	7 दिन	विशेष कर्तव्य अधिकारी, म. प्र. शासन उर्जा विभाग.	15 दिन	विभागीय सचिव, म. प्र. शासन ऊर्जा विभाग.
1.20	33 के. व्ही. से अधिक वोल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत् स्थापनाओं का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (Charging Permission) (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं भुगतान के पश्चात्).	मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक.	7 दिन	विशेष कर्तव्य अधिकारी, म. प्र. शासन उर्जा विभाग.	15 दिन	विभागीय सचिव, म. प्र. शासन ऊर्जा विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473] भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 11, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

क्र.—एफ—2—13—लोसेप्र—इकसठ—1—पी.एस.जी.—01.— मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय—सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय—सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उर्जा विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
1.21	100 केव्हीए से अधिक एवं 500 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	07 दिन	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक

1.22	100 केव्हीए से अधिक एवं 500 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	07 दिन	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक
1.23	500 केव्हीए से अधिक एवं 5000 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग
1.24	500 केव्हीए से अधिक एवं 5000 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग
1.25	5000 केव्हीए से अधिक क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग	15 दिन	विभागीय सचिव, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग
1.26	5000 केव्हीए से अधिक क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग	15 दिन	विभागीय सचिव, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.